न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सिंवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 309/2019(175/2018)
GCMS No. : 2018/00069

–:: वादी ::– बनाम **–:: प्रतिवादीगण ::–**

1. सुरेश भाई पुत्र मंगाराम फौत के का0मु0
   1/1. रमेश भाई पुत्र सुरेश भाई
   1/2. सुखी बेना पत्नी सुरेश भाई

जाति– सीरवी(सोलंकी)
निवासी– बेरा जैतारणीय ग्राम आगेवा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.11/07/2018**

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, वादीगण।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 31/03/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा में वादी व अन्य खातेदारों की शामलाति खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि निम्नलिखित विवरण की आई हुई है।

(अ)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	139	17–04 बीघा	बा–1
2.	140	00–12 बीघा	गै0मु0 नाडा
3.	141	30–07 बीघा	बा–1
4.	143	16–15 बीघा	चा–सो
5.	174	09–15 बीघा	बा–दो
योग	05	74–13 बीघा	

(ब)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	138	48–13 बीघा	चा–सो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

(स)

क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	138	48–13 बीघा	चा–सो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

(द)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	144	00-05 बीघा	गै0मु0 बेरा
2.	145	32-09 बीघा	चा-सो
3.	146	35-05 बीघा	चा-सो
4.	147	86-05 बीघा	चा-दो
5.	148	00-01 बीघा	गै0मु0 बेरा
6.	149	03-01 बीघा	गै0मु0 सड़ा
7.	150	06-07 बीघा	चा-दो
योग	07	163-10 बीघा	

(य)

क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	25	25-10	बा-2

(र)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	64	00-01 बीघा	गै0मु0 बेरा
2.	65	48-05 बीघा	चा-चारम
3.	66	46-16 बीघा	चा-सोयम
4.	67	50-19 बीघा	चा-सोयम
5.	68	11-09 बीघा	चा-सोयम
6.	69	00-07 बीघा	गै0मु0 रास्ता
7.	70	01-09 बीघा	गै0मु0 बेरा
8.	71	15-14 बीघा	चा-सोयम
योग	08	175 बीघा	

इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि वादी के पिता मंगाराम जी सोलंकी व अन्य हिस्सेदारों की खातेदारी व कब्जा काश्त की थी। मंगाराम जी का देहान्त हो जाने पर उक्त भूमि वादी व उसके भाई कुशालराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। जिसकी चालू जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। इस भूमि को आगे वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का माफिक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी में वादी का नाम तुलछा पुत्र मंगा चला आ रहा है, जबकि वादी का सही नाम सुरेश भाई पुत्र मंगाराम सीरवी है। वादी की बाल्यवस्था में वादी को तुलछा के नाम से भी जानते थे, [illegible] भाई है। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में सरकारी दस्तावेजात आ[illegible]कार्ड [illegible] परिचय पत्र, राशनकार्ड, विद्युत बिल, में भी वादी का सही [illegible] भाई पुत्र [illegible]राम ही दर्ज है, परन्तु राजस्व रेकर्ड के में तत्कालीन आरआई [illegible] वादी सुरेश भाई के नाम की बजाय तुलछा पुत्र मंगा का इन्द्राज कर दिया है जो एक [illegible] एन्ट्री की तारीफ में आता है जबकि वादी का सही नाम सुरेश भाई है। जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात से प्रमाणित है। उक्त गलत तुलछा पुत्र मंगा के नाम की प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड में रहने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

अपनी इस भूमि पर अपना किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनवा पा रहा है, न ही साख पत्र बनवा पा रहा है। वादी ने पूर्व में इस बाबत राजस्व केम्प आगेवा में दिनांक 08.06.2016 को अपना प्रार्थना पत्र पेश किया था, लेकिन उस समय भी कोई सुधार नहीं हुआ है। जबकि वादी अपने सही नाम की दुरूस्ती करवाने एवं इसी माफिक रेकर्ड दुरूस्ती की घोषणा कराने बाबत यह वादपत्र घोषणा व दुरूस्ती का श्रीमान के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम तुलछा पुत्र मंगा इन्द्राज है, जिससे वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योकि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का अलग नाम होने से बैंक से ऋण, कनेक्शन लेने एवं अन्य सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में वादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी का राजस्व रेकर्ड में नाम तुलछा पुत्र मंगा के स्थान पर सुरेश भाई पुत्र मंगाराम की दुरूस्त करने हेतु यह वादपत्र घोषणा एवं दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चले आ रहे है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में नाम तुलछा पुत्र मंगाराम इन्द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से दिनांक 08.06.2016 को प्रतिवादी को एक लिखित में प्रार्थना पत्र जमाबंदी में नाम के सही व दुरुस्त इन्द्राज कराने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया एवं न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहा तब वादी का यह वादपत्र बाबत अपने नाम की दुरूस्ती कराने की घोषणा कराने के बाबत बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के अलावा अन्य सहहिस्सेदार व खातेदार है परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योकि वादी को इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं न ही अन्य सहखातेदारों के वादी के इस वादपत्र से कोई हिस्से की प्रभावित हो रहे है। प्रतिवादी तहसीलदार जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना करने से आवश्यक एव प्रोपर पक्षकार होने से उनको बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 08.06.2016 व उसके बाद लगातार प्रतिवादी द्वारा वादी को नाम की दुरूस्ती नहीं करने पर बमुकाम आगेवा-जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया, जो सा.मि. है। वकील वादी ने वाद के समर्थन साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर, दस्तावेज प्रदर्श करवाये जो सा0मि0 है।

तहसीलदार जैतारण ने जबावदावा में कथन किया कि सरहद मौजा आगेवा प0मण्डल आगेवा में वादी व अन्य की शामलाती खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान् 139, 140, 141, 143, 174, 138, 197, 144, 145, 14[illegible], 148, 149, 150, 25, 64, 65, 66, 67ख 68, 68, 69, 70, 7[illegible] कबा[illegible] जमाबन्दी अनुसार सहखातेदारी में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड [illegible] पुत्र मं[illegible] मीचन्द, जगदीश पि0 कुशाल सहखातेदारी में दर्ज हैं। उपरोक्त आराजी में वादी का हिस्से माफिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी में वादी का नाम तुलछा पु[illegible] मंगा दर्ज है। यह सही है कि आधार कार्ड संख्या 3397-7819-8870 में सुरेश भाई आत्मज मंगाराम सोलंकी बेरा जैतारणिया, आगेवा, पाली(राज0) दर्ज है। परिचय क्रमांक संख्या MGB7450380 में भी सुरेश भाई पुत्र मंगा जी दर्ज है। राशन कार्ड संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenyer
Date: 2021.06.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

200003633839 जो बेरा जैतारणीय मु0पो0 आगेवा तह0 जैतारण जिला पाली राज0 बना हुआ है, जिसमें सुरेश पुत्र मंगाराम दर्ज है। बेरा जैतारणीय पर स्थित विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 7882866661 में भी सुरेश भाई सीरवी दर्ज है। तत्कालीन राजस्व एजेन्सी द्वारा नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर मंगा फौत के स्थान पर तुलछा पुत्र मंगा दर्ज किया गया। वर्तमान जमाबन्दी में इसी अनुरूप दर्ज है। प्रार्थी ने सुरेश भाई पुत्र मंगाराम दुरूस्त करनें हेतु वादपत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वाद में सहखातेदार व सहहिस्सेदार पक्षकार नहीं है। मौका फर्द तैयार कर दिनांक 24.12.2019 को जांच की गई। मौका पर पूछताछ में मौतबिरान लोगों ने बताया कि तुलछा ही सुरेश भाई है। दोनों एक ही व्यक्ति है। तुलछा दर्ज व्यक्ति ही वास्तव में सरकारी दस्तावेजों में सुरेश भाई हैं। दुरूस्त करना उचित है। मौका जांच में पाया कि सुरेश भाई पुत्र मंगाराम की दिनांक 17.12.2019 को मृत्यु हो गयी है। जिसके कायम मुकाम रमेश भाई पुत्र सुरेश भाई(पुत्र) है एवं पत्नी सुखीबेन पत्नी सुरेश भाई (पत्नी) है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रथम तो वकील वादी यह साबित करनें में विफल रहे हैं कि सुरेश भाई पुत्र मंगाराम एवं तुलछा पुत्र मंगा एक ही व्यक्ति है। इनके द्वारा प्रदर्श करवायें दस्तावेज जिनमें प्रदर्श 07 राशन कार्ड में "सुरेश पुत्र मंगा" दर्ज है। परिवार के ब्यौरे में परिवार में कुल 01 सदस्य अंकित है एवं एक सदस्य सुरेश पुत्र मंगा स्वयं है तथा अन्य सदस्य सुरेश भाई पुत्र मंगा के कायम मुकाम पत्नी एवं पुत्र का नाम अंकित नहीं है। प्रदर्श करवायें अन्य दस्तावेज यथा विद्युत बिल, वादी संख्या 01 का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, वादी 1/1 रमेश का मतदाता पहचान पत्र, वादी संख्या 1 व 1/1 का आधार कार्ड, के अवलोकन से यह साबित नहीं होता है कि जमाबंदी सम्वत् 2073-2076(प्रदर्श-4) में दर्ज तुलछा पुत्र मंगा एवं सुरेश भाई पुत्र मंगा एक ही व्यक्ति है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह बखूबी साबित होता हो कि शामलाती वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में दर्ज तुलछा पुत्र मंगा एवं सुरेश भाई पुत्र मंगाराम एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र एवं स्पष्ट अभिमत हैं कि वादी का वादपत्र बखूबी साबित नहीं होनें से खारिज किया जाना उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बखूबी साबित नहीं होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर [illegible]र हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [कलक्टर]
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला [पा]ली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली (राज.)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **309/2019(175/2018)**
GCMS No. : **2018/00069**

–:: वादी ::– बनाम **–:: प्रतिवादीगण ::–**

1. सुरेश भाई पुत्र मंगाराम फौत के का0मु0
   1/1. रमेश भाई पुत्र सुरेश भाई
   1/2. सुखी बेना पत्नी सुरेश भाई

   जाति– सीरवी(सोलंकी)
   निवासी– बेरा जैतारणीय ग्राम आगेवा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 309/2019(175/2018)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री सरकारी पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बखूबी साबित नहीं होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णय होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **31/03/2021** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जैतारण जिला–पाली(राज.)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	02-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	62-00	फीस कमीशनर	
फीस कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	69-00	मिजानः–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.06.15 16:37:10 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।